

मुख्य,

अशोक मणिली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संघा में,

तेरहवरी,
वेन्डुम कोठे आय सेक्टरहरी मजदूरान,
24/19, लो विहार अमारी रोड,
दिरवागंज, नई दिल्ली।

संख्या दिनांक: 31 अक्टू, 1991

विद्या 1131 अमरगंज

विद्यार्थी सरस्वती विद्या मंदिर कल्याणनगर, आगरा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरस्वती विद्या मंदिर कल्याणनगर, आगरा को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रस्ताव फिर जाने की इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

प्रतिबन्ध/शर्तें:

- 111 विद्यालय की पुस्तक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य शामिल।
- 112 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान सहायी एवं विद्यार्थी तथा शिक्षक आय वर्ग के शर्तों के लिए सुरक्षित रखे तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/मैट्रिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 113 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की गति नहीं की जायेगी।
- 114 संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय संस्थाएँ प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भरणों से अधिक वेतनमान तथा अन्य भरणों नहीं दिए जायेंगे।
- 115 राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा की गयी आदेश समिति फिर जायेंगे उनका ध्यान करना संस्था के लिए अनिवार्य होगी।
- 116 विद्यालय की पुस्तक समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर पर नियमानुसार हस्तका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 117 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनापत्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों की अनुमत्य सेवा निवृत्ति लाभ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मन्दिर

.....
संस्था के
सरस्वती विद्या मन्दिर

088 विद्यालय का लेखा जोखा नियमित प्रपत्रों/परिचयों में रखा जायेगा ।

2. उक्त प्रवर्तित प्रपत्रों/परिचयों की तस्मात्सही की नियमावली में सम्मिलित रूप से समावेश किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों/परिचयों की तस्मात्सही की नियमावली में समावेश किए जाने की सूचना तथा उसकी प्रतिलिपि नियमावली की प्रति राज्य सरकार की इस आदेश के जारी होने के तुरन्त बाद से भीतर उपलब्ध कराया जायेगा । नियमावली के उक्त अंशों में राज्य सरकार के पूजाभूमिदम के विभागीय सहायक/परिवर्तन/परिवर्तन प्रपत्रों किता जायेगा ।

3. उक्त अंशों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त अंशों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देर/बाधा/कठिनाई/घुस/घुस या शिथिलता परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनिवारित प्रमाणपत्र/पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अज्ञात नामिका
उप सचिव ।

संख्या: 20732 11/15-13-91 दिनांक उल्लेखित ।

प्रतिनिधि नियमावली की सूचनाएं एवं आवश्यक कागजातों हेतु

दृष्टि :-

- 101 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा भवन-21 अंश, इलाहाबाद ।
- 121 निरीक्षक, अधीन भारतीय विद्यालय, उमरु, मधुप्र ।
- 131 मुख्य, सरस्वती विद्यालय मंदिर, कमला नगर, आगरा ।
- 141 मध्यस्थीय उच्च शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 151 जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।

अज्ञात से,
31.12.91
अज्ञात नामिका
उप सचिव ।

प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मन्दिर
सी० सै० स्कूल
कमला नगर, आगरा

प्रबन्धक
सरस्वती विद्या मन्दिर
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
कमला नगर, आगरा